न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 110/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. सायमखॉ पुत्र फकीरखॉ 2. समु पत्नी केसरेखॉ 3. रसाल खॉ पुत्र केसरेखॉ 4. पप्पू खॉ पुत्र केसरेखॉ 5. मठारखॉ पुत्र केसरेखॉ 6. रफीखॉ पुत्र केसरेखॉ 7. सबीना पत्नी बरकतखॉ 8. मेवे खॉ पुत्र आरब खॉ जातियान– मुसलमान निवासीगण– जालोडा, पोकरण तहसील– भणियाणा जिला जैसलमेर।		1. खीया पुत्री मुब्बेखॉ पत्नी साकर खॉ उर्फ सकूर खॉ निवासी जालोडा पोकरण के का0मु0– 1 सिकन्दर पुत्र साकर खॉ 2 बिस्मिला पुत्री साकर खॉ 3 मरिमों पुत्री साकर खॉ 4. छोटी पुत्री साकर खॉ 5 धाई पुत्री साकर खॉ 2. हमु पुत्री मुब्बे खॉ पत्नी लुकु खॉ निवासी– कनोटिया तहसील देचू 1 रजाक खॉ पुत्र लुकू खॉ 2 पप्पूखॉ पुत्र लुकु खॉ 3 खम्मा पुत्री लुकु खॉ 3. मिनबो पत्नी लुकू खा निवासी मेहरानगढ राजमथाई तहसील भणियाणा 4. दले खॉ उर्फ मुब्बे खॉ के का.मु.– 1 जली पत्नी दले खॉ 2 सुलेमान खॉ पुत्र दले खॉ 3 रसूल खॉ पुत्र दले खॉ 4 मखणे खॉ पुत्र दले खॉ 5 हाकम खॉ पुत्र दले खॉ 6 इदी पुत्री दले खॉ 7 सोढी पुत्री दले खॉ 8 गुडडी पुत्री दले खॉ 9 अजीजो पुत्री दले खॉ 5. जगल खॉ पुत्र मुब्बे खॉ सभी जातियान मुसलमान निवासीगण– जालोडा पोकरण तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर। 6. सरपंच ग्राम पंचायत लूणा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 16.07.2021 जो उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा, जिला जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या ए–1/2017 अनवान खीया वगेराह बनाम दले खॉ के का0मु0 वगैराह में पारित किया गया।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थितिः—

1. **श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।**
2. **रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 3, 4 व 5 की ओर से श्री एम0एम0 ढेरा, अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित नहीं।**
3. **श्रीमती धीरज कंवर एवं श्री पीराणेखॉन, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 3, 4/2, 4/5 की ओर से उपस्थित।**
4. **श्री दिनेश सिरवी, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित।**

निर्णय

दिनांक 12 जून, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खीया पुत्री मुब्बेखॉ के वारिसान की ओर से नामा0 संख्या 15 जो ग्राम पंचायत लूणा के द्वारा मुब्बेखॉ पुत्र सादुल खॉ के चार पुत्रों के नाम स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए नामा0संख्या 15 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भणियाणा को प्रतिप्रेषित कर मृतक मुब्बे खॉ उर्फ मुब्बा खॉ के सभी वारिसान को निर्धारित विधिक प्रकिया का पालन करते हुए सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर जॉच पश्चात नामा0 स्वीकृत करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 को पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह द्वितीय अपील दिनांक 24.08.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि मृतक खातेदार मुब्बॉ के देहान्त होने पर फौतगी का नामा0 वर्ष 1970 में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसमें विरूद्ध खीया वगैराह द्वारा 40 वर्ष पश्चात विलम्ब से प्रथम अपील पेश की गई थी जो मियाद बाहर थी। जबकि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस एक ही परिवार व एक ही गांव के निवासी है जिन्हें नामा0 का प्रारम्भ से ज्ञान था। जो मियाद बिन्दू पर ही खारिज करने योग्य थी। प्रथम अपील में मियाद बाबत यह अंकित किया था कि उनको दिनांक 24.12.16 को राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में आपस में बंटवाडा कर दिया गया है जबकि नकले क्यों प्राप्त की व प्रथम ज्ञान कब व किस माह व किस वर्ष व किस दिनांक को हुआ, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया ऐसे में मियाद का बिन्दू क्षमा योग्य नहीं था, प्रथम अपील न्यायालय ने मियाद को क्षमा करने में गलत फाईडिंग दी है कि पक्षकार को बिना नोटिस दिये आदेश पारित किया था तो उस पर मियाद बिन्दू लागू नहीं होता है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि विवादित भूमि के बाबत 04 बेचान निष्पादित हो चुके है जिसके आधार पर खरीददार खातेदार दर्ज हो गये है जिसमे प्रथम बेचान दिनांक 1.2.1974, 8.2.2011 व 12.3.2013 किया गया है ऐसे में जब तक निष्पादित बेचान दस्तावेज सिविल न्यायालय से निरस्त होते तब तक नामा0 को निरस्त नहीं किया जा सकता है और इन बेचाननामों के आधार पर नामा0 स्वीकृत किये गये है उनकी अपील भी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम विधि में हिन्दू विधि के तहत पुत्रियों का पुत्रों के समान हक व अधिकार नहीं माना जाता है तथा शिया व सुन्नी के मुस्लिम विधि में पैतृक भूमि के रूप में पुत्रियों का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि नामा0 प्रकिया में मुस्लिम जाति की पुत्रियों के कोई हक–अधिकार तय नहीं हो सकते है ऐसे में ऐसे विवादित बिन्दू का निर्णय सक्षम न्यायालय में खातेदारी का घोषणा का वाद पेश करके ही प्राप्त कर सकते है। माननीय उच्च न्यायालय व रेवेन्यू बोर्ड के नजीरों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार नामा0 प्रोसिडिंग्स के किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है जो सक्षम न्यायालय में दावा करके ही खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सकते है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा जिला जैसलमेर के द्वारा पारित अंपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 को निरस्त किया जावे तथा नामा0 संख्या 15 को यथावत बहाल रखा जावें। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ पेश किये यथा 2019(2) आरआरटी पेज 1955, 2019(2) आरआरटी पेंज 780 इत्यादि।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता श्रीमती धीरज कंवर की ओर से पेश अपील के बाबत लिखित बहस पेश की गई जिसमें यह भी अंकित किया कि मृतक खातेदार मूब्बा के देहान्त होने पर फौतेदगी नामा0 वर्ष 1970 में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया था उक्त नामा0 को स्वीकृत करने में रेस्पोडेन्टस पुत्रियों की सहमति थी और सरपंच के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रदान की थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मूब्बे खॉ की हम पुत्रियों ने स्वेच्छा से अपील नहीं की थी वह किसी के दबाव से की थी, उक्त प्रथम अपील करने बाबत आपसी सहमति नहीं थी, अन्य रिश्तेदारों के दबाव से उक्त अनवान की प्रथम अपील पेश की थी सभी पुत्रियां जीवित है तथा मृतक पुत्रियों के वारिसान ने विवादित म्यूटेशन स्वीकृत होने सम्बन्धी कोई एतराज नहीं किया था। इस कारण से सरपंच द्वारा उन्हें नोटिस जारी नहीं किया गया ऐसे में उक्त विवादित नामा0 को निरस्त नहीं करके

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उक्त नामा0 को यथावत रखा जावें। विवादित भूमि के बाबत खातेदारों द्वारा अपीलान्टस को चार बेचान हो चुके है तथा उक्त रजिस्टर्ड के आधार पर खातेदार दर्ज हो गये है। उक्त बेचान दस्तावेज यथावत एवं निरस्त नहीं किये गये है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता श्रीमती धीरज कंवर ने लिखित बहस में यह भी अंकित किया कि मुस्लिम विधी व हिन्दू विधि में एक समान हक व अधिकार नहीं बनते है। मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति सम्बन्धी पुत्रों का हक व अधिकार पुत्र व पुत्रियों के अलग–अलग माने है तथा नामा0 कार्यवाही में हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा सक्षम न्यायालय में विवादित भूमि के बाबत खातेदारी घोषणा का दावा पेश करके कानूनन अपना हक व अधिकार निर्धारण कर सकते है। उक्त बेचाननामों व नामा0 सम्बन्धी हम रेस्पोडेन्टस को कोई एतराज नहीं है और न ही बेचान निरस्त कराना चाहती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम अपील न्यायालय का आदेश निरस्त करावे एवं नामा0 संख्या 15 को यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता श्री एम0एम0 ढेरा की ओर से पेश अपील के बाबत लिखित बहस पेश की गई जिसमें यह भी अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामा0 संख्या 15 के विरूद्ध अपील संख्या 01/2017 दिनांक 14.03.2017 को पेश की गई थी। जिसमें यह अंकित किया था कि मूल खातेदार मुब्बे खॉ की मृत्यु के बाद उनकी आठो जाईन्दा संतान पिता की भूमि में बराबर हिस्से के नाम दर्ज करवाने के हकदार थे। रेस्पो0 संख्या 11 ग्राम पंचायत लूणा ने वारिसान का नाम दर्ज करते वक्त जाईन्दा वारिसान अपीलार्थीगण खीयां, हम्मू व मिनबों व अन्य पुत्री हनीफो, पुत्र आरब जिसका पुत्र रेस्पो0 संख्या 12 मेवे खॉ है, का नाम छोडते हुए केवल चार भाईयों के नाम दर्ज कर बिना किसी जॉच के नामा0 संख्या 15 विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकृत कर दिया है। उक्त अपील में सायम खॉ की ओर से जवाब पेश किया कि मूल खातेदार मुब्बे खॉ की भूमि में उनको पुत्रों का ही हिस्सा होने व पुत्रियों का हिस्सा नहीं होने के कारण उक्त नामा0 सही भरा गया है। इसी प्रकार मुस्लिम विधि के अनुसार पिता की मृत्यु पश्चात पिता की सम्पति में पुत्री का कोई हक–हिस्सा नहीं होता है।

इसी प्रकार इस द्वितीय अपील में भी अपीलान्टस की ओर से यह कथन किया है कि विवादित भूमि बाबत अपीलान्टस के पक्ष में चार बेचाननामें हो चुके है जिनके आधार पर अपीलान्टस खातेदार दर्ज होकर नामा0 भरे जा चुके है जिन्हें सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कराये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 निरस्त योग्य है। जबकि कोई

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भी सह स्वामी अन्य सह स्वामी का हिस्सा अन्तरित करने में सक्षम नहीं है। अपीलान्टस स्वयं को खरीददार होना बताते है तो उनके अधिकार धारा 44 टीपी एक्ट अनुसार अधिक नहीं हो सकते है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश जो कि तहसीलदार को प्रतिप्रेषित ही किया गया है ना कि पक्षकारान के किसी अधिकार को स्थाई रूप से तय किया जा सकता है। मूल खातेदार के वारिसान होते हुए भी उनका नाम नामा0 में नहीं आने से उन व्यक्तियों को भी अनुतोष प्रदान किया है जो सही व उचित है। अपीलान्टस ने यह भी अंकित कि कि 45 वर्ष पश्चात पेश नामा0 अपील मियाद बाहर थी तथा प्रारम्भ से ही रेस्पोडेन्टस को बेचाननामों का ज्ञान था। ऐसे में प्रथम अपील पोषणीय नहीं थी, क्योंकि अपीलान्टस के पक्ष में खातेदारी अधिकारों का सृजन हो चुका था, ऐसे में नामा0 कार्यवाही में खातेदार के अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है और न ही नामा0 कार्यवाही में पुत्रियों के अधिकार तय किये जा सकते है। जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रथम अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम की बहस पश्चात गुणावगुण पर आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता की ओर से पेश लिखित बहस में यह भी अंकित किया कि खीया जरिये वारिसान, हम्मू, मिनबों की ओर से बिना किसी प्रकार का शपथ पत्र प्रस्तुत किये जवाब अपील/क्रॉस ऑब्जेक्शन दिनांक 8.2.2022 को पेश किया जिसे नामंजूर करने हेतु दिनांक 5.4.2022 को उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया था क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 03 व अपीलार्थी संख्या 8 मेवे खॉ के पक्ष में था जिस नामा0 संख्या 15 में केवर चार भाईयों वारिसान का अंकन है इसलिये अपीलान्ट संख्या 8 की ओर से अपील मय इकबाली जवाब/क्रॉस आब्जेक्शन चलने योग्य नहीं है जिस बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय नजीर 2019 सुप्रीम (एससी) 845 में निर्धारित किया है। उक्त वर्णित तथ्यों से यह प्रकट है कि मौजूदा अपील भी दुरभिसंधी के आधार पर न्यायालय को गुमराह करने की व वास्तविक विवाद से न्यायालय का ध्यान हटाने हेतु प्रस्तुत की गई है जो खारिज करने योग्य है। अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपील करवाने की जो बाबत जवाब अपील में कही गई है उसका कोई तथ्यगत आधार जवाब अपील में नहीं किया गया है और जो अन्य बाते अपील में कही गई है वो अपील में तय नहीं हो सकती है वो विशिष्ठ अनुतोष अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करके ही लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपीलान्टस के द्वारा मुस्लिम विधि में पुत्रियों का हिस्सा नहीं होने से नामा0 संख्या 15 मात्र चार

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भ्राता–वारिसान के पक्ष में स्वीकृत किया जाना विधिसम्मत बताया है। जबकि धारा 40 राज0 काश्तकारी अधिनियम में "Succession to Tenants-When a Tenant dies intestate his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death" एवं मुल्ला रचित मुस्लिम विधि 23.वां संस्करण सन् 2021 पृष्ठ संख्या 86 से 89 पर अंकित धारा 65 के अनुसार संलग्न तालिका में प्रावधित है कि "Son-Daughter takes as a residuary with the Son, the Son taking a double portion" इस प्रकार मौजूदा अपील पूर्णतया गलत आधारों पर न्यायालय को गुमराह करने हेतु प्रस्तुत की गई है जो अस्वीकार करने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने बहस में यह भी उल्लेखित किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 15 की कार्यवाही में खीया, हमू व मिनाबों पक्षकार नहीं थे परन्तु नामा0 से व्यथित पक्षकार अवश्य थे तो उन्हें बिना सुनवाई व नोटिस दिये पारित आदेश शुन्य था, और ऐसे शून्य आदेशों के विरूद्ध अपील पेश करने में मियाद लागू नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारान यानि उभय पक्ष को सुनने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है। मौजूदा अपील में जिन बेचाननामो का हवाला दिया गया है वे बेचाननामें नामा0 संख्या 15 में अंकित उनके चार भ्राताओ/वारिसान तक विधिसम्मत है। अन्य छोडे गये वारिसान बाबत नामा0 संख्या 15 व उसके आधार पर किये गये बेचाननामें प्रारम्भ से ही शून्य है जिन्हें निरस्त करावाना आवश्यक नहीं है और ना ही अन्य वारिसान इनसे पाबन्द है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से से अधिक स्वामित्व का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः इस बहस में अंकित तथ्यों/प्रस्तुत निर्णय नजीरों के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील मय जवाब/कॉस ऑब्जेक्शन रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 को खारिज फरमाया जावें तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विधिक प्रावधान व न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ पेश किये यथा सेक्शन 44, टीपी एक्ट, सेक्शन 40 टीपी एक्ट, मुस्लिम खॉ बाई मुल्ला 23 वा संस्करण, 2021, 2019 सुप्रीम (एससी) पेज 845, एआईआर 2009 एस सी (सप्ली) पेज 282, 1907 सुप्रीम (एससी) पेज 500, 2006 सुप्रीम (राज0) पेज 2477, 2011 सुप्रीम (राज) पेज 1363, 2001 सुप्रीम (एससी) पेज 456 इत्यादि।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खीया पुत्री मुब्बेखॉ के वारिसान की ओर से नामा0 संख्या 15 जो ग्राम पंचायत लूणा के द्वारा मुब्बेखॉ पुत्र सादुल खॉ के चार पुत्रों के नाम स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए नामा0संख्या 15 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भणियाणा को प्रतिप्रेषित कर मृतक खातेदार मुब्बे खॉ उर्फ मुब्बा खॉ के सभी वारिसान को निर्धारित विधिक प्रकिया का पालन करते हुए सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर जॉच पश्चात नामा0 स्वीकृत करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 को पारित किया गया है। अपीलान्टस अधिवक्ता के द्वारा द्वितीय अपील में यह उल्लेख किया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये पंजीबद्व बेचान दस्तावेज के खरीद किया है, ऐसे में जब तक बेचान दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता तब तक उनके अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है।

वादग्रस्त खसरान भूमि के खातेदार मुब्बाखॉ वल्द सादूल खॉ के फौत होने पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 15 उनके चार जायन्दा पुत्रों कमशः दलेखॉ, सखी, केशरखॉ, जमालखॉ पिता मुबाखॉ के नाम ग्राम पंचायत, लूणा के सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है। किसी खातेदार के फौत होने के उपरान्त उनके सभी वारिसान के हक–अधिकार जन्म से ही उक्त भूमि में निहित हो जाते है तथा अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 में केवल पुत्रों का ही नाम अंकित किया है जबकि मृतक खातेदार मुब्बाखॉ के वारिसान के रूप में चार पुत्रों के अलावा खीया, हमु एवं मिनबो भी रही है।

ग्राम पंचायत के द्वारा फौतेदगी नामा0 को स्वीकृत करने से पूर्व मृतक खातेदार के समस्त वारिसान की जॉच नहीं की जाना प्रकट है, मुस्लिम विधि के अनुसार भी खातेदार/काश्तकार की खातेदारी भूमि में तय अनुसार हक–अधिकार प्राप्त होते है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा खातेदार मुब्बाखॉ की पुत्रियों की ओर से की गई प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए उनके हक–हिस्से दिलाये जाने एवं न्याय की दृष्टि से अपीलाधीन नामा0 संख्या 15 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भणियाणा को प्रतिप्रेषित कर मृतक मुब्बाखॉ के सभी बारिसान को निर्धारित विधिक प्रकिया का पालन करते हुए सुनवाई का अवसर देने व जॉच पश्चात नामा0 स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रटि कारित नहीं की गई है। अपीलान्टस के द्वारा मृतक खातेदार

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के पुत्रों के हक–हिस्से में आ रही हिस्सा भूमि से अधिक भूमि का उनसे क्रय किया गया है। जिस हेतु वे अलग से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हमारी विनम्र रॉय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप पारित किया हुआ होने से उसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय आज दिनांक 12 जून, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भँवरलाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर